# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 446/2025

आर कुमार, निवासी ग्राम खुडानियाः ( ब्रांच ऑफिस ), जिला झुंझुनूं पिन कोड 333031

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर, ) झुंझुनूं

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

## आदेश

दिनांक 30.10.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 16.10.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 446/2025 पर दिनांक 16.10.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025 /4628—629 दिनांक 16.10.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं ने अपने पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू0अ0/2025/1332 दिनांक 30.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी आर कुमार, निवासी ग्राम खुडानिया ( ब्रांच ऑफिस ), जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन मे आवेदक का नाम अंकित नही होने के कारण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं ने अपने पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 ) न्याय/सू0अ0/2025/1332 दिनांक 30.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी आर कुमार, निवासी ग्राम खुडानिया ( ब्रांच ऑफिस ), जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन मे आवेदक का नाम अंकित नही होने के कारण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है। चूंकि प्रार्थी का आवेदन पत्र मे नाम नही होने से आवेदन निरस्त किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 30.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( डॉ0 अरूण गर्ग )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं